

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनवान सरकार बनाम

रामराज बामन शिंदे

अपना 128

12/6

मुकदमा नं० 60/18

निर्णय दि० 27/6/19

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य  
स्थगित/प.०. से राज्य कार्य में व्यस्त/  
दौर पर होने से, जनरल तारीख पेश  
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 27/6/19  
को पेश हो।

12/6

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य  
स्थगित/प.०. से राज्य कार्य में व्यस्त/  
दौर पर होने से, जनरल तारीख पेश  
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 27/6/19  
को पेश हो।

27/6

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य  
स्थगित/प.०. से राज्य कार्य में व्यस्त/  
दौर पर होने से, जनरल तारीख पेश  
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 27/6/19  
को पेश हो।

27/06/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं धरोहर सरकार की  
सुना गया। पत्रावली का इन्वोलोपन किया वहीत का  
तमन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध गऊल जमाबन्दी से  
विवादित भूमी वादी/प्रार्थी कि स्वातेदारी भूमी होना  
साबित है। वादी/प्रार्थी अपनी उक्त स्वातेदारी भूमी  
कि पत्थरगढी करवाना चाहता है। न्यायद्वित में उक्त  
भूमी का सीमाज्ञान करके पत्थरगढी कराया जाना  
उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का 128 C.R. Act  
स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमी ख. न.  
542 रुबवा 0.480 है। वासे रामा गडोरा तहसील  
द्वारे सिहराय की नियमावुसार शुल्क लेकर सीमाज्ञान  
करवा कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार

सिहराय को दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुभार  
दोसर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिहराय जिला-दौसा